490
2/7/16

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे, मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01	प्रो0 अशोक शर्मा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।	अध्यक्ष
02	डा0 दिलीप कुमार शर्मा निदेशक, क्षे0के0,वमखुविवि,जोधपुर।	सदस्य
03	डा0 सुभाष चंद्र निदेशक, क्षे0के0,वमखुविवि,बीकानेर।	सदस्य
04	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
05	प्रो0 कर्ण सिंह वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
06	प्रो0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य,
07	प्रो0 एच0बी0 नंदवाना वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
08	प्रो0 जे0 के0शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
09	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10	डॉ0 सुबोध कुमार सह आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11	डा0 अनिल कुमार जैन सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
12	डॉ0 श्रीमती अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
13	डा0 योगेश शर्मा, सह आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
14	डॉ0 (श्रीमती) क्षमता चौधरी सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
15	डॉ0 (श्रीमती) मीता शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
16	डॉ0 अनुरोध गोधा सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17	डा0 आलोक चौहान सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
18	डा0 अकबर अली, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
19	श्री संदीप हुड्डा सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
20	डॉ0 कपिल गौतम सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
21	श्री रवि गुप्ता	सदस्य

सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।

22 श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा। — सदस्य

23 डा0 नित्यानंद शर्मा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा। — सदस्य

24 परीक्षा नियंत्रक वमखुविवि,कोटा। — विशेष आमंत्रित

25 कुलसचिव वमखुविवि,कोटा। — सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के उपस्थित सदस्यगणों का स्वागत करने के पश्चात आवश्यक गणापूर्ति सुनिश्चित होने के बाद कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

53/01 विद्या परिषद की 53वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 53वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 53/10(1) पर सदस्य डा0 सुभाष चंद्र एवं डा0 दिलीप कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय में नियमित फैकल्टी की श्रेणी में नहीं आते है अतः आपत्तियों को सदन द्वारा अस्वीकार करते हुए कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न किए गए विद्या परिषद की 53वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

53/02 विद्या परिषद की 53वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद की 53वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया।

54/03 अनाथ विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव।

अनाथ विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

54/04 बी0एड0 (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम सत्र 2015–16 के लिए शुल्क को छात्रवृति पोर्टल पर डालने हेतु किये गए वर्गीकरण सम्बन्धी आदेश क्रमांक 101 दिनांक 09.06.16 की पुष्टि की गई।

54/05 पी.एच.डी. कार्यक्रम में उपाधि के प्रारूप तथा लिखे जाने वाले विषय/विद्यापीठ के निर्धारण हेतु गठित समिति की कार्यसूची विवरण के साथ संलनग्न अनुशंषाओं को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

54/06 बी.ए.पी. एवं बी.सी.पी. कार्यक्रम के अवधि समाप्त होने के बाद भी परीक्षा में बैठने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर परिणाम घोषित किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 3603 दिनांक 27.04.16 अनुमोदनार्थ ।

बी.ए.पी. एवं बी.सी.पी. कार्यक्रम के अवधि समाप्त होने के बाद भी परीक्षा में बैठने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषाओं के आधार पर परिणाम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्यगणों का मत था कि भविष्य के लिए

2/c

ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सके, उक्त चर्चा का जवाब देते हुए परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में ही विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया गया है एवं संभवतः दिसंबर 2016 की परीक्षा से उक्त व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उक्त आश्वासन के बाद परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुमोदन किया गया।

54/07 वर्ष 2013 के बाद प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों को यु0जी0सी0 निर्देश के क्रम में स्थगित किए जाने का प्रस्ताव।

निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गयाः—

1. पी.जी.डिप्लोमा इन न्यू मीडिया (पी.जी.डी.एन.एम.)
2. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन (डी.एम.सी.)
3. पी.जी.डी.सी.एल.
4. डी.जी.डी.आई.पी.आर.
5. सी.बी.आई.एल.
6. डिप्लोमा इन योग एवं आयुर्वेदिक पंचकर्म (डी.वाई.ए.)
7. डिप्लोमा इन योग एवं नैचुरोपैथी (डी.वाई.एन.)
8. डिप्लोमा इन फलित ज्योतिष एवं कर्मकांड
9. डिप्लोमा इन कंप्युटर एप्लीकेशन कार्यक्रम

54/08(1) पी.पी.पी. मॉडल अध्ययन केन्द्रों के अनुबंध का कार्यकाल पूर्ण होने पर नवीनीकरण नहीं किए जाने का प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा पीपीपी मॉडल अध्ययन केन्द्रों का तीन वर्ष का अनुबंध पूर्ण होने पर अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किए जाने के निर्णय के क्रम में क्षेत्रीय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1454 दिनांक 13.04.16 एवं 2097 दिनांक 30.05.16 की पुष्टि की गई।

54/08(2) योग एवं आयुर्वेदिक पंचकर्म (डी.वाई.ए.) एवं डिप्लोमा इन योग एवं नैचुरोपैथी (डी.वाई.एन.) में प्रायोगिक परीक्षा एवं सम्पर्क शिविर के प्रावधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा डिप्लोमा इन योग एवं आयुर्वेद पंचकर्म (डीवाईए) तथा डिप्लोमा इन योग एवं नैचुरोपैथी (डीवाईएन) इन दोनों कार्यक्रमों में वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रायोगिक संपर्क शिविर 10 दिवसीय (30 घंटे) के स्थान पर प्रायोगिक संपर्क शिविर 5 दिवसीय (30 घंटे) करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि योग में प्रमाण पत्र एवं नेचुरोपेथी प्रमाण पत्र में प्रायोगिक सम्पर्क शिविर चार दिवसीय (12 घंटे) रहेगा।

54/08(3) सर्टिफिकिट इन फंक्शनल इंगलिश कार्यक्रम की शुल्क संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव।

सर्टिफिकिट इन फंक्शनल इंगलिश कार्यक्रम की शुल्क संरचना में परिवर्तन के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करते हुए शुल्क संरचना पूर्वानुसार ही रखे जाने का निर्णय किया गया।

54/08(4) विश्वविद्यालय में शोध पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव।

माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय कुलाधिपति महोदय द्वारा राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रदेश के किसी एक महान व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक शोधपीठ की स्थापना करने के निर्देश की पालना में सदन में सदन द्वारा "मीरा बाई" के नाम से

शोधीठ स्थापित करने का निर्णय किया गया तथा यह भी निर्णय किया कि इससे पड़ने वाले वित्तीय भार को वहन करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए।

54/08(5) पूर्व में स्थगित किए गए कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

पुनः प्रारंभ किये जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि इन कार्यक्रमों के लिए स्थगन से पूर्व निर्धारित शुल्क में, पूर्व में किए गए निर्णयानुसार 100/–रू0 पोस्टल चार्जेज जोड़कर शुल्क लिये जाने का निर्णय करते हुए निम्नलिखित कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गईः–

1. डिप्लोमा इन जर्नलिस्म एवं मास कम्युनिकेशन (डी.जी.एम.सी–एक वर्षीय) जिसकी फीस कुल 3600 रू0 होगी।
2. योग में प्रमाण पत्र (सी.आई.वाई.)
3. नेचुरोपेथी में प्रमाण पत्र (सी.आई.एन.)
4. सर्टिफिकिट कोर्स इन फूड एवं न्यूट्रिशन
5. डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एवं हैल्थ एज्युकेशन
6. सर्टिफिकिट इन फंक्शनल इंगलिश
7. सर्टिफिकिट इन टीचिंग आफ इंगलिश
8. सर्टिफिकिट कोर्स इन क्रीएटिव राइटिंग इन इंगलिश
9. सर्टिफिकिट इन फलित ज्योतिष
10. डिप्लोमा इन जनरल एग्रीकल्चर (डी.जी.ए.)
11. फसल संरक्षण में प्रमाण पत्र (सी.सी.पी.)

प्रस्ताव में उल्लेखित कार्यक्रम आयुर्वेद में प्रमाण पत्र को पुनः प्रारंभ नहीं करने का निर्णय किया गया। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनवायरमेंट एण्ड सस्टेनेबल डवलपमेंट कार्यक्रम को प्रारंभ करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः–

1. प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर
2. प्रो0 एच0 बी0 नंदवाना
3. डा0 आलोक चौहान

54/08(6) विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर भर्ती एवं कार्यरत शिक्षकों को सी0ए0एस0/स्टेज–प्रथम से स्टेज–द्वितीय का लाभ प्रदान किए जाने हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियों में निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया :–

1. रसायन शास्त्र
2. प्रबंध
3. होटल मैनमेंट
4. योगा
5. समाज शास्त्र
6. पत्रकारिता
7. शिक्षा
8. हिन्दी
9. अंग्रेजी

54/08(7) प्रवेश योग्यता में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जिन कार्यक्रमों के के लिए प्रवेश योग्यता स्नातक है वहॉ इसके स्थान पर स्नातक न्यूनतम तीन वर्षीय किए जाने का निर्णय किया गया।

54/08(8) सर्टिफिकट एवं डिप्लोमा में प्रवेश योग्यता में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर्टिफिकट एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश योग्यता प्रमाण –पत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों की प्रवेश योग्यता जिनकी 10+2 अथवा समकक्ष है उनकी प्रवेश योग्यता 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष/ बीएपी/ बीसीपी/ बीएससीपी खुला विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अथवा सन् 1989 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से हायर सैकेण्डरी उर्त्तीण करने का निर्णय किया गया।

54/08(9) शुल्क वापसी के नियम निर्माण सम्बन्धित गठित समिति की अनुशंषाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

छात्रों को प्रवेश शुल्क वापसी के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि प्रवेश आवेदन में विद्यार्थी द्वारा कोई गलती होती है तो उसे शुल्क नहीं लौटाया जाएगा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कोई गलती होती है तो प्रोसेशन चार्ज के रूप में 200/–रू0 काट कर विद्यार्थी को शुल्क वापिस लौटाया जाएगा। बी0एड0 कार्यक्रमों में शुल्क लौटाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश निदेशक , शिक्षा विद्यापीठ को प्रदान किए गए।

54/08(10) लैटरल एन्ट्री प्रवेश हेतु निर्धारित नियम हेतु प्रस्ताव :–

लैटरल एन्ट्री प्रवेश के सम्बन्ध में प्रस्ताव में उल्लेखित नियमों के निम्नलिखित बिंदुओं में आंशिक संशोधन कर अनुमोदित किया गया तथा शेष नियमों को प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया:–

नियम संख्या	प्रस्ताव में उल्लेखित नियम	विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए नियम
03	जिस वर्ष में प्रवेश ले रहे है उस वर्ष तक विद्यार्थी ने इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नॉन क्रेडिट प्रश्न पत्र उत्तीर्ण नहीं किए हो तो उन्हें भी इस प्रवेश वर्ष में पूरा करना होगा।	जिस वर्ष में प्रवेश ले रहे है उस वर्ष तक विद्यार्थी ने इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नॉन क्रेडिट प्रश्न पत्र उत्तीर्ण नहीं किए हो तो उन्हें भी कार्यक्रम अवधि पूर्ण होने तक पूरा करना होगा।
12	लैटरल एन्ट्री में प्रवेश हेतु संबंधित कार्यक्रम और वर्ष के शुल्क के साथ –साथ रू02000/–(अक्षरे दो हजार मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होगा।	स्नातक एवं स्नात्कोत्तर कार्यक्रमों में लैटरल एन्ट्री में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से 2500/–रू0 कार्यक्रम शुल्क के अतिरिक्त लिए जाएंगे तथा डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा में लैटरल एन्ट्री में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से 500/–रू0 कार्यक्रम शुल्क के अतिरिक्त लिए जायेंगे

54/8(11) यू.जी.सी.,COBSE , एवं राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष परीक्षाओ के संबंध में जारी सूची को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव ।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न यू.जी.सी.,COBSE , एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर द्वारा जारी सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष परीक्षाओ के संबंध में जारी सूची का अनुमोदन करते हुए समय समय पर इनमें होने वाले अद्यतनों को भी विश्वविद्यालय में स्वीकार किए जाने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय ए0आई0यु0 द्वारा

जारी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची के आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों को भी मान्यता प्रदान की जाए।

54/08(12) एडिशनल एंट्री में प्रवेश के संदर्भ में क्षेत्रीय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2172 दिनांक 20.06.15 में बी.ए.(स्नातक) के साथ बी.एस.सी. (स्नातक) भी जोड़े जाने के संशोधन के साथ जारी किए गए आदेश की विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।

54/08(13) सी0जी0पी0ए0 लागू करने के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 19342 दिनांक 21.06.15 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

सी0जी0पी0ए0 लागू करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद की 51वीं बैठक के निर्णय संख्या 51/16(1) की पालना में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 16804 दिनांक 30.09.15 की क्रियान्वती में आने वाली कठिनाइयों से परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत करवाए जाने के बाद सदन द्वारा संशोधित आदेश क्रमांक 19342 दिनांक 21.06.16 को अनुमोदित किया गया।

54/08(14) सी.पी.डी.एल.डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन बाबत् प्रस्ताव।

सी.पी.डी.एल.डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के परीक्षा विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

54/08(15) एम0सी0ए0 तृतीय वर्ष के कोर्स स्ट्रक्चर एवं कोर्स कंटेंट्स के अनुमोदन का प्रस्ताव।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न एम0सी0ए0 तृतीय वर्ष के कोर्स स्ट्रक्चर एवं कोर्स कंटेंट्स के निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 18.06.16 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
एवं
सदस्य सचिव (विद्या परिषद)